

प्रशा.IV (वि.का.) अनुभाग

अनुभाग के कार्य

1.	केंद्रीय सचिवालय सेवा की चार सेवाओं अर्थात विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) की सीएसएस, सीएसएसएस और सीएससीएस और विधि कार्य विभाग की सीएसओएस का संवर्ग प्रशासन।
2.	(क) स्थापना मामले जैसे (सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएस संवर्ग के लिए) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से और सीएसओएस संवर्ग के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त नामांकन के आधार पर नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानांतरण। इसके अलावा, यह अनुभाग परिवीक्षा/पुष्टिकरण/चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण, गृह नगर की घोषणा से संबंधित कार्य भी करता है।
	(ख) मुख्य सचिवालय में सभी राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों (एमटीएस कर्मचारियों को छोड़कर) की सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव [छुट्टी, वेतन वृद्धि, नामांकन फॉर्म, सेवा सत्यापन आदि]
	(ग) प्रभारी, शाखा सचिवालय की सेवा पुस्तिकाओं [छुट्टी, वेतन वृद्धि, नामांकन प्रपत्र, सेवा सत्यापन आदि] का रखरखाव, जिसमें उनका वेतन निर्धारण भी शामिल है।
	(घ) मुख्य सचिवालय में आईएसएस, सीएसएस, सीएसएसएस, सीएसओएस और सीएससीएस संवर्ग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन निर्धारण।
	(ङ) शाखा सचिवालयों में सीएसएस, सीएसएसएस और सीएससीएस संवर्ग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन निर्धारण।
3.	विधि कार्य विभाग में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों (एमटीएस कर्मचारियों को छोड़कर) की सेवानिवृत्ति, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान, अर्हक सेवा के सत्यापन से संबंधित मामले।
4.	सभी मंत्रालयों/विभागों में कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) का कार्यान्वयन।
5.	आईटी प्रबंधन यानी ई-ऑफिस, एनडीएसएपी और सीएमएफ आदि।
6.	विधि कार्य विभाग में ई-एचआरएमएस का कार्यान्वयन
7.	विधि कार्य विभाग में बायो-मीट्रिक उपस्थिति का कार्यान्वयन
8.	माननीय विधि एवं न्याय मंत्री/माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के व्यक्तिगत स्टाफ में नियुक्ति तथा उनके सेवा संबंधी मामले।
9.	लेखाकार/ कनि. लेखाकार के बाह्य संवर्ग पदों पर नियुक्ति।

10.	डीईओ/आईटी पेशेवरों जैसे श्रमशक्ति की आउटसोर्सिंग
11.	विधि अधिकारियों के कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के मद में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति।
12.	अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामले
13.	विधि कार्य विभाग में पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव
14.	अनुभाग से संबंधित बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने के लिए बी एंड ए अनुभाग को सामग्री प्रस्तुत करना
15.	सीएसएस/सीएसएसएस/सीएसओएलएस/सीएससीएस संवर्गों के संबंध में सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण के लिए आवेदनों को अग्रेषित करना।
16.	उच्च अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान करना।
17.	मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट/हिंदी रिपोर्ट के लिए सामग्री की प्रस्तुति
18.	अनुभाग से संबंधित न्यायालय मामले/संसद प्रश्न/आरटीआई/लेखा परीक्षा मामले।